भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4096

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत धनराशि आवंटन

4096. श्री विजय बघेलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विशेषकर दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि की समीक्षा की जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त समीक्षा में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम(जी)] के अंतर्गत राज्यों को समेकित तरीके से केन्द्र की ओर से अंश निधियां आबंटित और जारी की जाती हैं। निचले स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का आगे वितरण करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। स्वच्छ भारत मिशन (जी) [एसबीएम-जी] के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित निधियों और विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य द्वारा आहरित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

		करोड़ रु. में
वर्ष	**आवंटन केंद्र अंश**	**राज्य द्वारा आहरित निधि (केन्द्र अंश)**
2019-20	187.2	139.0
2020-21	121.7	68.4
2021-22	207.6	-
2022-23	355.1	177.5
2023-24	84.0	84.0
2024-25	182.1	-
कुल	**1,137.6**	**468.9**

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में, नियमित अनुदान के अलावा, एसबीएम (जी) को विश्व बैंक सहायता के तहत कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान (पीआईबीजी), जो 100% केंद्र अंश अनुदान था, एसबीएम(जी) को विश्व बैंक सहायता के तहत राज्यों को जारी किया गया था। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पीबीआईजी के तहत छत्तीसगढ़ को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रु. में	
वित्त वर्ष	**विश्व बैंक द्वारा जारी राशि**
2019-20	138.98
2020-21	68.43

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित की जाती हैं और न कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार। इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत धन पूरी मिशन अवधि के लिए आवंटित किया जाता है और न कि वार्षिक आधार पर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को एसबीएम-शहरी (2014-2021) और एसबीएम-शहरी 2.0 (2021-2026) के तहत क्रमशः 357.85 करोड़ रुपये और 727.30 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) और (ग) एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्य द्वारा निधि उपयोग की समीक्षा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी)/अनंतिम उपयोग प्रमाण-पत्रों और लेखा परीक्षित लेखा विवरण (एएसए) के माध्यम से की जाती है। छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्र और एएसए की जांच के दौरान, यूसी और एएसए के बीच व्यय में बेमेल तथा दस्तावेजों की जांच के दौरान गैर-अनुमत क्रियाकलापों पर व्यय जैसी कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। राज्य को एसबीएम (जी) के तहत मुद्दों के स्पष्टीकरण/समाधान के लिए कहा गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एसबीएम-यू 2.0 सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत धन के प्रवाह और उपयोग की निगरानी के लिए, सीएसएस के तहत धन के प्रवाह की एक नई प्रक्रिया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 23 मार्च, 2021 को अधिसूचित की गई है। नई प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक सीएसएस को एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है जिसका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता हो। निचली कार्यान्वयन एजेंसियां एसएनए खाते से निधियां आहरित करने के लिए शून्य शेष खातों का उपयोग करती हैं जो वास्तविक समय आधार पर राज्य के हिस्से (एसएस) के अंशदान और निधियों के उपयोग को दर्शाती है। निधियों के वास्तविक और वित्तीय उपयोग की निगरानी करने के लिए नियमित समीक्षाएं और क्षेत्रीय दौरे किए जाते हैं। अनियमितताओं की कोई सूचना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

*****